

सेवा में,

दिनांक - 19.5.2024

C.M.D.

powergrid Corporation of India Limited
Corporate Office, Gurgaon.

विषय - R.T.I. / सूचना के अधिकार के तहत सूचना की मांग

श्रीमान्,

निवेदनपूर्वक अनुरोध है कि मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें -

- (1) पहले से मौजूद (15-16 वर्षों से) 400 KV क्षमता के lattice tower (Transmission tower) का यदि Height raising / ऊँचाई बढ़ाने की आवश्यकता होने पर क्या पुराने foundation/base पर ही उचित Civil Engineering work/treatment करके उँचा Height का tower स्थापित किया जा सकता है या नहीं।
- (2) भारत में कहीं भी powergrid द्वारा tower/transmission हेतु tower का Height raising हेतु पुराने/पहले से स्थापित tower के Base/foundation का Civil Engineering treatment/अन्य उचित treatment करके उसी foundation पर उँचा tower/अन्य उँचा tower स्थापित किया गया है अथवा नहीं। कृपया राज्य व जिला सहित संक्षिप्त विवरण दें।
- (3) Electricity Act में यह mandated है कि transmission line डाफ़्ट बनाने में 'damage' कम से कम हो। इस क्रम में licensee 'powergrid' द्वारा अपनाई जाने वाली damage की परिभाषा क्या है।
- (4) powergrid Campus के अंदर उपलब्ध सड़क पर सिविली transmission हेतु टावर का निर्माण किया जा सकता है या नहीं। यदि नहीं तो वहाँ सम्बन्ध में उपलब्ध कोई नियमावली/आदेशों की प्रति उपलब्ध कराया जाए।
- (5) 400 KV transmission line को हेतु 'monopole' से संचरण संभव है या नहीं। अभी वर्तमान में powergrid द्वारा 400 KV line में संचरण हेतु भारत में कहीं भी 'monopole' का उपयोग किया गया है या नहीं।

(6) Electricity Act - 2003 के तहत यह mandated है कि किसी भी tower transmission आदि कार्य में ~~damage~~ damage को कम से कम रखना है। powergrid द्वारा अपनाया जाने वाला procedure / प्राथमिकता क्या है। यदि transmission line / tower / Conductor गंजाने के क्रम में यदि powergrid कंपनी की अपनी संरचना यथा सड़क / Boundary आदि होता है व इसके विपरीत same transmission line में अन्य option के रूप में यदि आम नागरिक का आवासीय संरचना / मकान निर्माण आता है व powergrid की संरचना का रास्ता व आम नागरिक व आवासीय संरचना को option Techno-Economically Feasible एतत् हानि पहुँचाने का क्रम क्या होता है।

(7) क्या powergrid की अपनी संरचना यथा सड़क, ~~boundary~~ आदि में कोई परिवर्तन संभव है या नहीं। यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में उपलब्ध कोई अधिकृत दिशा निर्देश / निर्मावली / अधिनियम की प्रति प्राप्ति का उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय

ब्रजमोहन कुमार

नाम - सिजका पट

पोस्ट - गंगानंदपुर

जिला - गान्धी (बिहार)

mob - 8920176086

email - braj.moh4u@gmail.com